संख्या-93/2018/2579/सैंतीस-2-2018-5(2)/2018

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-19 सितम्बर, 2018

विषयः- **उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि की कोषागार के माध्यम से प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

शासनादेश संख्या-77/2018/2324/सैंतीस-2-2018-5(2)/2018, दिनांक-28.06.2018 द्वारा प्रदेश के निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में एक-एक वृहद् गो-संरक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की धनराशि रू0-3400.00 लाख (रूपये चौंतीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू0-3400.00 लाख (रूपये चौंतीस करोड़ मात्र) की धनराशि आहरित की गयी है।

2- उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि रू0-3400.00 लाख (रूपये चौंतीस करोड़ मात्र) की प्रतिपूर्ति हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुपूरक मांग के माध्यम से अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्ष '4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-04-गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना-24-वहत् निर्माण कार्य' में प्राविधान हो चुका है। अतः श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की धनराशि रू0-3400.00 लाख (रूपये चौंतीस करोड़ मात्र) की प्रतिपूर्ति हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्ष '4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-04-गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना-24-वहत् निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा। इस धनराशि का कोषागार से नकद आहरण न कर पुस्तक समायोजन द्वारा उसे लेखाशीर्ष "8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि में विनियोजन" में जमा किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-यू.ओ.-683/दस-2018, दिनांक-18.09.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-93/2018/2579(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in